न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–40/2019 (2019/00011) वादपत्र

अनवान

1. रतनलाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलास का खेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रोशनलाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलासका खेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लादुलाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलास का खेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. शोभालाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलासका खेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. बृजकंवर पत्नि जसवंतसिंह राणावत निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. महावीर पिता स्व. गोपी सुथार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3. छगन पिता स्व. गोपी सुथार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4. रूकमण पत्नि स्व. गोपी सुथार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
5. देउ पुत्री स्व. गोपी सुथार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
6. दुर्गा पुत्री स्व. गोपी सुथार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
7. गणी पुत्री स्व. गोपी सुथार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
8. रेखा पुत्री स्व. गोपी सुथार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
9. प्यारचन्द पिता रामसुख माली निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
10. बालुराम पिता रामसुख माली निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
11. कन्हैयालाल पिता रामसुख माली निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
12. रामा पिता नोला दरोगा निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
13. बदामी पत्नि प्यारा कुम्हार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा.का.अ. 188–92क स्थाई निषेधाज्ञा बाबत्

1. जाकिर हुसैन – **अधिवक्ता वादी**
2. हरिश टेलर – **अधिवक्ता प्रतिवादी**

निर्णय

दिनांकः–24.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रेवाड़ा पटवार क्षेत्र बोरियापुरा तहसील–रायपुर में जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 में देवीचंद बालू पिता मोती माली, गोपाल पिता बंशीलाल, प्यारचंद, बालूराम, कन्हैयालाल पिता रामसुख कुल हिस्सा 3/8 प्यारचंद, बालूराम, कन्हैयालाल पिता रामसुख माली हिस्सा 1/8 रतनलाल, रोशनलाल पिता प्यारचंद माली निवासी तोलास का खेड़ा हिस्सा 1/8 लादूलाल, शोभालाल पिता प्यारचंद माली हिस्सा 1/8, पन्ना, गो[illegible] प्रभू, मीठू पिता बरदा अणछी बेवा बरदा शंकर पिता छोगा प्यारी बेवा छोगा माली [illegible] 8 रामा पिता नोला दरोगा हिस्सा 1/8 के संयुक्त खाते में साबिक आ[illegible] 122 रकब[illegible] बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज थी। वादीगण ने उक्त भूमि देईचंद पिता मो[illegible] में से [illegible]–पृथक रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों से क्रय की थी [illegible] 99 दिनांक 17–2–1[illegible] को हमारे नाम पर खोला गया था। जिस वक्त यह भूमि देईचंद से खरीदी थी उस समय यह भूमि असिंचित थी जिस पर कोई कुआ खुदा हुआ नहीं था। यह भूमि क्रय करने के बाद हम वादीगण चारों भाइयों ने मिलकर हमारे उक्त 1/8–1/8 कुल 1/4 हिस्से व कब्जे की भूमि को सिंचित करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:24:56 IST
Reason: SelfAttested

के लिये इस पर हजारों रूपयों की लागत लगाकर एक कुआ खुदवाया था जो पक्का बंधा हुआ होकर इस पर बिजली की मोटर लगी हुई है। अन्य सहखातेदारान् ने भी भूमि क्रय करने के बाद अपने—अपने हिस्से व कब्जे की भूमि में नवीन सेटलमेंट के पूर्व ही तीन पृथक—पृथक कुए खुदवाये थे जिनसे वे अपने—अपने हिस्से व कब्जे की भूमि को सिंचित करते हुए आ रहे हैं। क्रय करने के पूर्व उनके हिस्से की भूमि भी असिंचित ही थी जो रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों से प्रमाणित है। इस प्रकार उक्त साबिक आराजी नं. 122 पर कुल 4 नवीन सेटलमेंट से पूर्व खुदे हुए थे जिनसे पृथक—पृथक हिस्सेदार अपने—अपने हिस्से व कब्जे की भूमि को सिंचित करते हुए आ रहे हैं। किसी भी सहखातेदार का अन्य सहखातेदार के हिस्से व कब्जे की भूमि में खुदे हुए कुए की भूमि में कोई भी हिस्सा व दखल नहीं है। नवीन बंदोबस्त होने पर उक्त वर्णित आराजी के दो नवीन आराजी नंबर कायम किये गये जो निम्न प्रकार हैः आराजी नं. 368 रकबा 18.0800 है. चाही, 368/1000 रकबा 0.0200 है. गे.मु.आ.चाह कुल किता 2 कुल रकबा 8.1000 है0, नवीन बंदोबस्त की हाल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में उक्त आराजी नं. 368 रकबा 8.0800 है. चाही 1 को मृतक खातेदारों की विरासत या उनके द्वारा अपने हिस्से की भूमि विक्रय करने से इस भूमि में निम्नानुसार इन्द्राज खाते में किया हुआ है—आराजी नं. रकबा 368 रकबा 8.0800 है0 खातेदार बृजकंवर पत्नी जसवंतसिंह राणावत 1/5, गोपी पिता नंगजीराम सुथार 1/8, प्यारचंद, बालुराम, कन्हैयालाल पिता रामसुख माली 1/4, रामा पिता नोला दरोगा 1/8, बदामी पत्नी प्यारा कुम्हार 1/20 सा. बावलास रतनलाल, रोशनलाल, लादूलाल, शोभालाल पिता प्यारचंद माली नि तोलास का खेड़ा 1/4 हिस्सा। इसके अलावा आराजी नं. 368/1000 रकबा 0.02 है0 गै.मु.चाह की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में निम्नानुसार खातेदारों का नाम गलततौर से कायम कर दिया गया जबकि यह कुआ सं. 368/1000 वादीगण द्वारा भूमि क्रय करने के बाद हमारे हिस्से व कब्जे की आराजी में केवल हमारे द्वारा हजारों रूपयों की लागत से यह कुआ हमने खुदवाया है जिस पर बिजली की मोटर लगी हुई है। इस कारण से यह कुआ सं. 368/1000 रकबा 0.02 है0 केवल वादीगण के नाम पर ही दर्ज किया जाना चाहिये किन्तु भूप्रबंध विभाग ने भूल व गलती से इस कुए के खाते में अन्य खातेदारों का नाम भी जोड़ दिया है जिसे घोषणात्मक डिक्री द्वारा हटाया जाना आवश्यक है। अन्य खातेदारान् के हिस्से व कब्जे की भूमि में भी उनके द्वारा सेटलमेंट से पूर्व कुए खुदवा दिये गये थे लेकिन सेटलमेंट विभाग ने उनके कुओं के पृथक—पृथक नंबर कायम नहीं किये और हमारे कुआ सं. 368/1000 में ही उनका नाम भूल व गलती से लिख दिया जिनका नाम हटाया जाना आवश्यक है। उक्त वर्णित आराजियात में खाते में सहखातेदारान गोपी सुथार का देहान्त हो गया जिसके उक्त वर्णित वारीसान को वाद के टाईटल में अंकित किया गया है जो संयुक्त रूप से गोपी के हिस्से की भूमि के सहखातेदारान है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण के सामलाती रूप से दर्ज होने से तथा हिस्सा अलग से निर्धारित नही होने से वादी के अपने हक व हिस्से को विकास आदि कर कृषि उपयोग उपभोग हेतु भूमि सुधार करने में तथा लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है जिससे इस आराजी के संयुक्त खाते की भूमि का मीट्स एण्ड बोण्ड्स से पैमाइश कराया जाकर हिस्से व मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन करके पृथक पृथक राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावे साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराया जावे कि वे जब तक उक्त वर्णित आराजियात विभाजन की डिक्री अलग अलग नही हो जावे तब तक वे इस आराजी को किसी भी तरह से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:24:56 IST
Reason: SelfAttested

खुर्द—बुर्द अन्तरित व भारित नही करे और इस आराजी से वादीगण को बेदखल नही करे एवं कोई ऐसा कोई ऐसा कृत्य नहीं करे जिससे वादीगण के अधिकारो पर विपरीत असर पड़े।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 12.06.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 13 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने जवाब पेश नही कर हिस्सा अनुसार विभाजन में सहमति देते हुए प्रतिवादिया संख्या 1 का भी हिस्सा अलग करने का निवेदन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 13 फोरमल पक्षकार है जिससे वादीगण द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुनते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2022 को वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 368 रकबा 8.08 है0 भूमि में वादीगण 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीयां संख्या 1 का 1/5 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 12.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रेवाड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 132 में प्रस्तावित आराजी संख्या 368/3 रकबा 2.01 है0 भूमि रतनलाल रोशनलाल लादुलाल शोभालाल पिता प्यारचन्द माली सा. तोलासकाखेड़ा खातेदार रहन जीएसएस आशाहोली हिस्सा शोभालाल पर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 368/1 रकबा 1.61 है0 भूमि बृजकंवर पत्नि जसवन्तसिंह राजावत सा. बावलास खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 368/2 रकबा 0.40 है0 भूमि बदामी पत्नि प्यारा कुम्हार सा. बावलास खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 368/6 रकबा 1.00 है0 भूमि रामा पिता नोला दरोगा सा. बावलास खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 368/4 रकबा 3.01 है0 भूमि कन्हैयालाल प्यारचन्द बालुराम पिता रामसुख 2/3 माली गोपी पिता नंगजी 1/3 सुथार सा. बावलास तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 368/5 रकबा 0.05 है0 भूमि रास्ता हेतु शामलाती [illegible] रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा [illegible] करें।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:24:56 IST
Reason: SelfAttested

24/05/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–40 / 2019 (2019 / 00011) वादपत्र

अनवान

1. रतनलाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलास का खेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रोशनलाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलासका खेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लादुलाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलास का खेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. शोभालाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलासका खेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. बृजकंवर पत्नि जसवंतसिंह राणावत निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. महावीर पिता स्व. गोपी सुथार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3. छगन पिता स्व. गोपी सुथार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4. रूकमण पत्नि स्व. गोपी सुथार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
5. देउ पुत्री स्व. गोपी सुथार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
6. दुर्गा पुत्री स्व. गोपी सुथार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
7. गणी पुत्री स्व. गोपी सुथार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
8. रेखा पुत्री स्व. गोपी सुथार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
9. प्यारचन्द पिता रामसुख माली निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
10. बालुराम पिता रामसुख माली निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
11. कन्हैयालाल पिता रामसुख माली निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
12. रामा पिता नोला दरोगा निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
13. बदामी पत्नि प्यारा कुम्हार निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा.का.अ. 188–92क स्थाई निषेधाज्ञा बाबत्

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रेवाड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 132 में प्रस्तावित आराजी संख्या 368 / 3 रकबा 2.01 है0 भूमि रतनलाल रोशनलाल लादुलाल शोभालाल पिता प्यारचन्द माली सा. तोलासकाखेड़ा खातेदार रहन जीएसएस आशाहोली हिस्सा शोभालाल पर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 368 / 1 रकबा 1.61 है0 भूमि बृजकंवर पत्नि जसवन्तसिंह राजावत सा. बावलास खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 368 / 2 रकबा 0.40 है0 भूमि बदामी पत्नि प्यारा कुम्हार सा. बावलास खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 368 / 6 रकबा 1.00 है0 भूमि रामा पिता नोला दरोगा सा. बावलास खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 368 / 4 रकबा 3.01 है0 भूमि कन्हैयालाल प्यारचन्द बालुराम पिता रामसुख 2 / 3 माली गोपी पिता नंगजी 1 / 3 सुथार सा. बावला[illegible] प्रस्तावित आराजी संख्या 368 / 5 रकबा 0.05 है0 भूमि रास्ता हेतु शामलाती बदस्तूर रखते हुए [illegible] किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिन[illegible]2022 को [illegible] हस्ताक्षर से जारी की गई।

24/05/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:24:56 IST
Reason: SelfAttested